केन्द्रपोषित योजना

संख्या 58–भा0स0/xiii/04–5(24)/04

प्रेषक,

डा0पी0एस0गुसाईं,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन.

सेवा में,

1.अपर कृषि निदेशक, उत्तरांचल.
2.मुख्य वन संरक्षक, उत्तरॉचल, नैनीताल
3.निबंधक सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल, देहरादून.
4.गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तरॉचल, काशीपुर, उधमसिंहनगर.

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः 1/ जून 2004

विषय–मैक्रोमैनेजमेंट– कृषि योजना के अंतर्गत धनराशि की अवमुक्ति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 558/लेखा/ बजट/ 2004–05 देहरादून दिनांक 24 मई 2004 के क्रम में महामहिम श्री राज्यपाल महोदय की ओर से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मैक्रोमैनेजमेंट–कृषि योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिये निम्नांकित वितरण के अनुसार कुल रूपया 225.67 लाख (दो करोड पच्चीस लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

धनराशि हजार रूपये में

कोड संख्या	व्यय की मद	कृषि विभाग	उत्त0बीज एवं टी0डी0सी0	वन विभाग	सहकारिता विभाग	गन्ना विभाग	योग
04	यात्रा व्यय	400					400
08	कार्यालय व्यय	250					250
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	250					250
15	गाडियों का अनुरक्षण एवं पैट्रोल का क्रय	400					400
20	सहायक अनुदान	10000	1000		700	1000	12700
24	वृहद् निर्माण			6067			6067
25	लघु निर्माण कार्य			1500			1500
42	अन्य व्यय	1000					1000
	योग	12300		7567			22567

(दो करोड पच्चीस लाख सड़सठ हजार मात्र)

2. उत्तरॉचल बीज एवं तराई विकास निगम को स्वीकृत की गई रू0 10.00 लाख के अग्रिम आहरण की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है। धनराशि का अग्रिम आहरण की व्यवस्था अपर कृषि निदेशक द्वारा की जायेगी तथा धनराशि बैंक ड्राफ्ट से उत्तरॉचल बीज एवं तराई

विकास निगम को उपलब्ध कराई जायेगी। उत्तरॉचल बीज एवं तराई विकास निगम धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र अपर कृषि निदेशक को उपलब्ध करायेंगे।

3. बजट मैनुवल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित भाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0–8 पर आहरण वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा प्रपत्र बी0एम0–13 पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे। वन, गन्ना एवं सहकारिता विभाग अपने विभागों का संकलित व्यय विवरण अपर कृषि निदेशक को उपलब्ध करायेंगे।

4. धनराशि का व्यय करने से पूर्व शासन द्वारा समय समय पर जारी वित्तव्ययता सम्बन्धि शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय,व व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रत्येक माह वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना केन्द्र एवं राज्य सरकार को निर्धारित स्वरूपों पर उपलब्ध करायी जाय.

5. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में अनुदान संख्या–17 के अंतर्गत लेखा शीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म– 00– 102–खाद्यान्नों की फसलें– 01– केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–01– कार्य योजना के आधार पर राज्य की पूरक/ अनुपूरक कार्यक्रमों की केन्द्रपुरोनिधानित योजना– *आयोजनागत* के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0.345/वित्त अनु0 2/2004 दिनांक 9–6–2004.में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0पी0एस0गुसाई)
अपर सचिव

संख्या 58–भा0स0/xiii/04–5(24)/04 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तरॉचल, मालरा, देहरादून।
2. आयुक्त कुमायूं मण्डल नैनीताल/गढवाल मण्डल,पौडी.
3. सचिव, वन, उत्तरॉचल शासन।
4. सचिव, सहकारिता, उत्तरॉचल शासन।
5. सचिव, गन्ना एवं चीनी उद्योग, उत्तरॉचल शासन।
6. सचिव, कृषि, उत्तरॉचल शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी,/कोषाधिकारी उत्तरांचल
8. प्रबंध निदेशक, उत्तरॉचल बीज एवं तराई विकास निगम हल्दी,पंतनगर
9. संयुक्त कृषि निदेशक,पौडी/नैनीताल.
10. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरांचल.
11. वित्त अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग.
12. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरॉचल.
13. गार्ड फाइल.
14. निजी सचिव,मा0मुख्यमंत्री जी.

आज्ञा से,

11.6.2004

(डा0पी0एस0गुसाई)
अपर सचिव

110604012-Pdf